संख्याः-606/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2025

विषयः उ0प्र0 राज्य कृषि आपदा प्रबन्धन योजना SADMP का परीक्षण एवं पुनरीक्षण Integrated Centre for Adaptation, Disasters Risk - Resilience and Sustainability (ICARS) IIT Roorkee, Greater Noida Campus (NCR) के माध्यम से कराये जाने हेतु धनावंटन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-208/कृषि/SADMP/2025-26, दिनांक 29.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 10.03.2025 में दिए गये निर्देशों में क्रम में उ0प्र0 राज्य कृषि आपदा प्रबन्धन योजना SADMP का परीक्षण एवं पुनरीक्षण Integrated Centre for Adaptation, Disasters Risk-Resilience and Sustainability (ICARS) IIT Roorkee, Greater Noida Campus (NCR), के माध्यम से कराये जाने के सम्वन्ध में कृषि विभाग का अनापत्ति पत्र उपलब्ध कराते हुए उक्त परीक्षण एवं पुनरीक्षण की अनुमति प्रदान करने एवं SADMP के उक्त परीक्षण एवं पुनरीक्षण हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से रू0 4.00 लाख आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की वैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की वैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 राज्य कृषि आपदा प्रबन्धन योजना SADMP का परीक्षण एवं पुनरीक्षण Integrated Centre for Adaptation, Disasters Risk - Resilience and Sustainability (ICARS) IIT Roorkee, Greater Noida Campus (NCR) के माध्यम से कराये जाने की अनुमति के साथ-साथ उक्त परीक्षण एवं पुनरीक्षण हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से धनराशि रू0 4.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिवंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रवंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/वजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सवध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयवद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 4.00 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 30.05.2025 18:18:35
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-606(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-03/06/2025

प्रेषण संख्या:- 606
आवंटन आदेश संख्या:- 001-606
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	400000 234177249	400000 234177249
	योग	वर्तमान प्रगामी	400000 234177249	400000 234177249

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ इक्तालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ उनचास

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।